REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2025

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं संवैधानिक प्रावधान

डॉ. अजरा तबस्सुम
मौलाना आजाद शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

वैदिक काल–

ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। उन्हें बौद्धिक एवं आध्यात्मिक कार्यकलापों में सहभागिताकी स्वतंत्रता थी। किसी भी समाज व राष्ट्र की स्थिति को वहाँ की नारियों की दशा देख कर आंका जा सकता है। वैदिक काल में समाज में नारियों को स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त थी। नारियों को हर स्तर पर सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध थे।

वैदिक समाज में पुत्र के समान पुत्री को स्नेह, दुलार एवं आदर सम्मान प्राप्त था। कन्याएँ प्रायः माता के अनुशासन में रहती थीं। इस युग में धार्मिक कार्यों में भी बालिकाओं को बालकों के समान अवसर प्राप्त थे। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार बालकों की भांति होता था तथा बालकों की भांति शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक था। शिक्षा के साथ ही वे नृत्य एवं संगीत में भी प्रवीण होती थीं। इस प्रकार वैदिक काल में कन्याओं को उच्च स्थान प्राप्त था।

वैदकि काल में कन्याओं का विवाह बलपूर्वक नहीं होता था। समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। तथा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता थी। महिलाएँ उनके पारिवारिक व्यवसाय जैसे बुनाई कताई, कृषि कार्य एवं शिक्षकीय कार्य में भी संलग्न रहती थीं।

उत्तर वैदिक कालः–

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थित सम्मान जनक थी। महिलाओं को धर्म का मूल कहा जाता है। महिलाएँ साहसी, आत्मविश्वासी और ताकतवर थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में बालिकाओं की विवाह की आयु कम कर के उनके शिक्षा प्रप्ति क मार्ग में अवरोध उत्त्पन्न कर दिया गया। पुत्रियों को द्वितीय श्रेणी का दर्जा दिया जाने लगा महिलाओं की स्वतंत्रता शनैः शनैः कम कर दी गई। पुत्रियों की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बालिकाओं को बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति क संरक्षण में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रखा जाने लगा।

इस काल में पति, पत्नी हेतु भगवान का रूप होता था। महिलाओं को शिक्षा से पूर्ण वंचित किया गया। सतीप्रथा समाज में परिलक्षित होने लगी। इस युग में पर्दा प्रथा का प्रचन भी प्रारम्भ हो गया।

बौद्ध कालः—

200 ईस्वी पूर्व बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति में आंशिक परिवर्तन हुआ। प्रथा से महिलाओं को राहत मिली। इस काल में शिक्षा संस्कृति और धार्मिक अवसरों में सकतीं हई।

महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति देकर उनकी शिक्षा को नव जीवन दिया। बौद्ध धर्म महिलाओं को पुरुषों से नीचे नहीं मानता है। इस धर्म में महला एवं पुरुष दोनों को समाज के लिए उपयोगी मानता है। परिवार में पत्नी को पति के बराबर का दर्जा प्राप्त है। बौद्ध धर्म बेटी के जन्म को चिंता या निराशा का कारण नहीं मानता है। बौद्ध काल में भी महिलाओं के आर्थिक राजनैतिक स्थिति में कोई अंतर नहीं आया।

मध्य कालः—

18 वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना तक भारत में वैदिक संस्कृति व्यापक थी। मुगलों के आक्रमण के बाद की अवधि को भारत में मध्ययुगीन कालखंड माना गया।

(इस काल में सत्तात्मक संस्कृति की प्रमुखता रही। मुगल युग में हिन्दु औं मुसलमान दोनों में पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था। अतः महिलाओं का विशाल समूह शिक्षा प्राप्ति से वंचित रहा।

इस काल में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई। समाज में बहु—पत्नी प्रथा का प्रचलन था। समाज में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक स्वतंत्रता नहीं थी।

ब्रिटिश कालः—

स्वतंत्रता पूर्व देश के भीतर महिलाओं की स्थिति वंचित अवस्था में थी। इसका प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज था। महिलाएँ, घर एवं परिवार के लिए समर्पित थीं। उन्हें अपने विचारों और दृष्टिकोण को व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा बहु विवाह, सती प्रथा, बालविवाह, और कन्या भ्रूण हत्या प्रचलित थी। जिसका बिंदुवार विवरण निम्न लिखित है—

1. **बहुविवाहः—** एक ही समय में एक महिला एवं एक पुरुष एक से अधिक महिला एवं पुरुष से सम्बंध रखते थे। एक आदमी एक से अधिक महिला से विवाह कर सकता था। खासतौर पर यह प्रथा योद्धाओं में प्रचलित थी। सन् 1955 के **''द हिन्दु मेरिज एक्ट''** के अनुसार एक आदमी या औरत एक से अधिक पति या पत्नी नहीं रख सकती है।

2. **सति प्रथाः—** इस काल में समाज में सति प्रथा की व्यपकता थी। इस प्रणाली में हिन्दु विधवाएँ अपने पति के अंतिम संस्कार के समय उनके चिता के साथ जल जाती थी। यह प्रणाली प्राचीन भारत में भी प्रचलित थी। मान्यता यह थी कि, ऐसा करने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी।

सन् 1798 में कलकत्ता सूबा में सती प्रथा को एक कानून के तहत समाप्त कर दिया गया। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने इस सामाजिक बराई के उन्मूलन के संघर्ष किए और लार्ड विलियम बैंटिक की सहायता इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सफल हुए।

3. **बाल विवाहः—** इस काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन था जो समाज में नकारात्मकता का प्रभाव डालता था। इस काल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक हतोत्साहित किया जात था। इस के कारण महिलाएँ शिक्षा से वंचित हो जाती थी एवं उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता था।

19 वीं सदी के मध्य में समाज सुधारकों ने इसके विरोध में आवाज उठाई एवं लडके एवं लडकियों के न्यूनतम आयु का निर्धारण किया। ईश्वरचंद विद्यासागर, केशवचंद्र एवं महात्मा गांधी ने बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करने के प्रयास किए और बाल विवाह निरोधक कानून सन् 1929 में अंग्रेजी हुकूमत में लागू करवाया।

4. **विधवा विवाहः—** इस काल में समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। समाज में विधवा का जीवन नीरस था। उन्हें समाज के अंदर गम्भीर समस्याओं का सामना करना पडता था।

उन्हें किसी श्री धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं थी। उन्हें सम्पत्ति का अधिकार भी नहीं था। इस लिए अधिकतर सती होने का विकल्प चुन लेती थीं।

महादेव रानाडे एवं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस विषय पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन चलाया गया। एवं उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 XVI बनाया गया।

5. सम्पत्ति का अधिकार :– इस काल में महिला को सम्पत्ति का अधिकार अस्पष्ट था एवं इस सम्बंध में कोई कानून भी नहीं थी। कालांतर में इस सम्बंध में भी कानून बनाया गया। सगुण सम्पत्ति का अधिकार 1937/XVII बहु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 / XXX लागू किया गया।

6. कन्या भ्रूण हत्या :– इस काल में बालिकाओं को उनके माता–पिता द्वारा एक दयित्व के रूप में माना जाता था। उनका मानना था कि उनके ऊपर सिर्फ खर्च करना पड़ेगा।

अतः अच्छे कपड़े, भोजन व शिक्षा से उन्हें वंचित किया गया। विवाह के समय भारी दहेज की मांग भी इस समस्या का प्रमुख कारण था। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को वरीयता दी जाती थी जिससे वे विवाह में दहेज लाएँ। धार्मिक कारण के अंतर्गत अंतिम संस्कार पुत्र के हाथों होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसी मान्यता समाज में थी। जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या समाज में प्रचलित था। सन 1795 में कन्या भ्रूण हत्या को बंगाल सूबे में हत्या घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम 22 बनाया गया जिसमें बालिका को जीने का अधिकार दिया गया।

7. शिक्षा का अधिकार:– ईस्ट इंडिया कम्पनी ने स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझ कर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। स्त्री शिक्षा के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण भी अत्याधिक रूढ़िवादी था। कम्पनी के शासन काल में बालिका विद्यालयों की स्थापना मिशनरियों, सरकारी एवं गैरसरकारी व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप हुई। सन् 1851 में मिशनरियों के द्वारा 371 बालिका विद्यालयों का संचालन किया गया। व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप कलकत्ता का बैथून स्कूल 1849 में कानून के सदस्य जेईडी बैथून के द्वारा किया गया। सन् 1854 से 1882 तक वुड के आदेश पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। सन् 1882 से 1902 तक हंटर कमीशन ने स्त्री शिक्षा की जोरदार सिफारिश की। इस का प्रभाव न केवल सरकार पर पडा वरन जनता को भी स्त्री शिक्षा की प्रेरणा मिली।

सन् 1902 से सन् 1921 तक स्त्री शिक्षा की प्रगति हुई इसमें महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों का योगदान सराहनीय था। लार्ड कर्जन ने भी स्त्री शिक्षा में सहयोग प्रदान किया। सन् 1913 की शिक्षा सम्बंधी सरकारी प्रस्ताव के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा प्रत्येक स्तर पर मजबूत हुई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सर्वेट्स आफ इंडिया सोसाइटी जैसे अनेक सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया। सन् 1904 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। सन् 1916 में कर्वे एवं भंडारकर के प्रयासों के फलस्वरूप पूना में महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान

आज आजादी के 72 वर्ष बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति संतोष जनक नहीं कही जा सकती है। आधुनिकता के विस्तार के साथ–साथ, देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या के आंकडे चौंकाने वाले हैं।

उन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रीति–रिवाज, कुत्सित रूढ़ियों, यौन अपराधों, लैंगिक भेद–भाव, घरेलू हिंसा, निम्नस्तरीय जीवन शैली, अशिक्षा, कुपोषण, हिंसा, दहेज उत्पीडन, कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक असुरक्षा तथा उपेक्षा का शिकार होना पडता है।

हलांकि पिछले कुछ दशकों में रक्षा और प्रशासन सहित लगभग सभी सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, उनकी स्वयत्ता तथा अधिकारों का कानूनी एवं राजनैतिक संरक्षण, तेजी से बदलते सकारात्मक सामाजिक नजरिए, सुधरते शैक्षणिक स्तर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उनकी सहभागिता एवं

कौषल, रचनात्मकता, व्यापार, संचार, विज्ञान तथा तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता जैसे कई बड़े बदलाव नजर आने लगे हैं। लेकिन जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग में महिलाओं की पुरुषों के बराबर भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, वे हर प्रकार से शिक्षित, सुरक्षित एवं संरक्षित नहीं हो सकतीं ।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकार

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं के लिए कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किए गए तथा उनको संरक्षण प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 14:— इस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वचित नहीं किया जावेगा। इसका अभिपये यह है कि कानून के समक्ष, स्त्री और पुरुष को न्याय पाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जावेगा।

अनुच्छेद 15:— इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा। संविधान के इस अनुच्छेद में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 19:— इस अनुच्छेद के अनुसार महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अपनी इस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए भारत की प्रत्येक नारी सम्पूर्ण भारतवर्श में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक आ—जा सकतीं हैं। उसे महिला होने नाते किसी भी मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जावेगा। महिला अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार का वैधानिक व्यवसाय चला सकती है।

अनुच्छेद 23 एवं 24:— इस अनुच्छेद में स्त्री को आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 39 (द) समान कार्य के लिए समान वेतन जिसके कारण वह पुरूषों से किसी भी प्रकार कम वेतन पाने की अधिकारी नहीं होगी।

अनुच्छेद 42:—इस अनुच्छेद के अनुसार महिला को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 46:— इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा तथा अर्थ सम्बंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण में संरक्षा करेगा।

संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 (क. ड) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, हमारा ''दारितव हैं कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझें। तथा ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।''

अनुच्छेद 243 (द) 3 महिलाओं की बौद्धिक क्षमता को राजनैतिक क्षेत्र में भी प्रयोग करने के दृष्टिकोण से भारत के संविधान में उन्हें पंचायतो में भी विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायती राजव्यवस्था प्रणाली निर्वाचन में दिये गये स्थानों का बहुत बड़ा हिस्सा के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

अनुच्छेद 325 के अनुसार:— निर्वाचन नामावली में समानरूप से महिला और पुरूष को सम्मिलित होने का अधिकार दिया है।

हमारे देश की सरकार ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियम बनाये हैं। इनमें से प्रमुख हैं— **महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं।**

प्रमुख अधिनियम हैं —

- कारखाना अधिनियम 1948
- राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948
- टी प्लांटेशन लेबर अधिनियम 1951
- विशेष विवाह अधिनियम 1954
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- हिन्दू उत्तराधिकारियों अधिनियम 1956

- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961
- ठेका श्रमिक अधिनियम 1976
- बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2000
- जुनेव एक्ट 1986
- घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005

इन अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में भी अनेक प्रावधान हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 292 से 294 तक ऐसे प्रावधान हैं जिसमें महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या सामग्री प्रकाशित करना अपराध पर दंड का प्रावधान है।

धारा 312 से 318 के अंतर्गत अजन्म शिशुओं को क्षति पहुँचाने पर दंड का प्रावधान है।

धारा 354 :– औरतों का शील भंग करने हेतु बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्षों की सजा अथवा जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे को व्यक्ति बहला फुसलाकर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोषी होगा। धारा 363 से 366 के अंतर्गत इसमें दंड का प्रावधान किया गया है।

धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है एवं धारा 376 में इसके अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है।

धारा 498 अ के अंतर्गत यदि कोई पति अथवा उसका कोई सम्बंधी विवाहित पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक दुर्व्यवहार करता है अथवा दहेज को लेकर यातना देता है तो न्यायालय में दंड का प्रावधान है।

धारा 509 के अंतर्गत यदि कोई स्त्री लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है इस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है।

महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा सन् 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। सन् 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

भारत सरकार द्वारा सन् 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका बचाओ योजना, इंदिरा योजना, सरस्वती साइकल योजना, स्वयं सिद्धा योजना, महिला समाख्या योजना लागू किया गया। एवं क्रमशः इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक उतार–चढ़ाव के बाद अब सुधार और सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। संविधान ने महिलाओं को समानता, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए मजबूत आधार दिया है। फिर भी, इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना और सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन लाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ–

1. 1 मई 2024. भारतीय संविधान 106वीं संशोधन (The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023)
2. आगरवाल, एस.एन. (2018). भारतीय समाज और महिलाएँ. नई दिल्ली : प्रकाशन संस्थान।
3. शुक्ला, रामआसरे (2019). भारतीय संविधान और महिला अधिकार. इलाहाबाद : पुस्तक भवन।
4. शर्मा, आर.के. (2020). भारतीय समाजशास्त्र. जयपुर– रावत प्रकाशन।
5. बंधोपाध्याय, हेमचन्द्र (2017). भारतीय नारी : अतीत और वर्तमान. कोलकाता : ओरिएंटल पब्लिशिंग।
6. गुप्ता, सी.डी. (2021). महिला अध्ययन और समाज सुधार आंदोलन. वाराणसी : साहित्य भवन।

7. Government of India (2022). Constitution of India (Bare Act with Amendments)- Ministry of Law and Justice.
8. National Commission for Women (NCW). (2023). Annual Report. नई दिल्ली– भारत सरकार।
9. Planning Commission of India (2011). Report on Status of Women in India. नई दिल्ली।
10. Desai, Neera & Thakkar, Usha (2015). Women in Indian Society. New Delhi: National Book Trust.
11. Forbes. Geraldine (2019). Women in Modern India.- Cambridge: Cambridge University Press.